रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 1973/आश्विन 4, 1895

No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 1973/ASVINA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th September 1973

SUBJECT .—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March, 1974 (Amendment No. 43).*

No. 159-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April 1973-March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC (PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)
1. 93	B.1.41	After entry B.1.41, the following entry may be inserted under Cols. 1 to 3:—
1	2	3
	B.1.42	Laboratory Chemicals/Analytical Reagents. 5%

(1)		(2)	(3)
2	100	B.27.14	After entry B.27.14, the following may be inserted under Cols. 1 to 4 :—

1	2	3	4
B.27.15	Scouring Powder . . .	7%	(*a*) Trichloro Cyanuric Acid (TCCA) (*b*) Alkyl Benzene. (*c*) Sodium Tripolyphosphate (STPP) (10%).

3. Consequent to the above amendments, the items "Laboratory Chemicals/Analytical Reagents.....B. 1.42" and "Scouring powder.....B. 27.15" may be inserted alphabetically at the appropriate places in Section IV of the above Red Book under the product group B. Chemicals and Allied Products.

S.G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 43) ।

सं० 159 आई०टी०सी० (पी०एन०)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 2-4-74 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जायें :—

रैडबुक (वा०-2) की पृष्ठ संख्या		संदर्भ	संशोधन
1	93	बी० 1.41	प्रविष्टि बी. 1.41 के बाद कालम 1 से 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाए :—

1	2	3
बी० 1.42	प्रयोगशाला रसायन/ विश्लेषक अभिकर्मक	50%

(1)	(2)	(3)	
2	100	बी० 27.14	प्रविष्टि बी० 27.14 के बाद कालम 1 से 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाये :—

1	2	3	4
बी० 27.15	स्कोरिंग पाउडर	7%	(क) ट्राइक्लोरो साइएन्यूरिक एसिड (टी-सीसीए) (ख) आल्काइल बेंजिन (ग) सोडियम ट्राइपोलिफास्फेट (एस टी-पी पी) (10%)

3. उपर्युक्त संशोधनों के फलस्वरूप, मद "प्रयोगशाला रसायन/ विश्लेषक अभिकर्मक... बी० 1.42" तथा "स्कोरिंग पाउडर...बी 27.15" को उपर्युक्त रैडबुक के खण्ड 4 में उत्पाद वर्ग बी० रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के अन्तर्गत उचित स्थानों पर वर्णक्रमानुसार शामिल किया जाए।

एस०जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973